



३२५

ट्रॉनम 2286700
2286710

नगर वेतनम केन्द्र 10 अशोक नगर लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : ८२८५/३६/७६/एफ/२०१५-१६
रेखा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बुलन्दशहर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त कर दी गई है:

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पश्चिम नेशनल बैंक	4568000100046637	IFSC Code PNB0456800	412.92 (धनराशि लाख रु० में)

क्र०रो०	जनपद/ निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त संख्या	अवमुक्ता धनराशि
1	बुलन्दशहर/बीबी नगर	37	72	II	82.88
2	बुलन्दशहर/बुगरासी	37	48	II	54.76
3	बुलन्दशहर/जहरीलालाद	37	36	II	41.44
4	बुलन्दशहर/छतारी	37	156	II	182.04
5	बुलन्दशहर/बीबी नगर	83	72	II	23.68
6	बुलन्दशहर/बुगरासी	83	48	II	16.28
7	बुलन्दशहर/जहरीलालाद योग	83	36	II	11.84
					412.92

उपरोक्तानुसार अवगुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में विनिहित आसरा योजना में प्रतावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुरार ही व्यय किया जाये।

- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत ली0पी0आर०/परियोजना के अनुरार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोलोअप्राफ प्रत्येक दशा में रामबनित पत्रावली में रखा जाये।
- योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- योजनान्तर्गत अवगुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उपरोक्त शारान द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्ता की गई धनराशि पर देय होगा।



३२५१२

६०००८ २२८८७१०
२२८८७१०

नव वारा केन्द्र १० अशोक मार्ग, लखनऊ २२०००१

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4 उक्त धनराशि दूड़ा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि रवीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।
- 5- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रंत्रोत पर कठोरी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7- सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से दूड़ा द्वारा प्रथम किश्त की प्रेषित धनराशि में उल्लिखित एम०ओ०य०० (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी अथवा अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायें।
- 8- दूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर राष्ट्रादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर दूड़ा के सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीप,

(लाल प्रताप रिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को रूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकारा अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- निदेशक, सी० एण्ड डी०एरा०, उ०५० जल निगम, लखनऊ।
- राहायक परि० अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, रूड़ा।
- कम्यूटर सेल सूडा।
- लेखा विभाग—रूड़ा।

(लाल प्रताप रिंह)
वित्त नियन्त्रक